

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782-222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782-222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./942

जगदलपुर, दिनांक 10/04/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Construction of ITI, Polytechnic and other associated infrastructures in Village-Chokawada Tehsil-Jagdalpur, District-Bastar under CSR Activities of NMDC Ltd, area-9.80 ha.-regarding पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Others/28963/2017

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-875/2060 दिनांक 19/11/2020
2. वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल जगदलपुर का पत्र क्रमांक/क.त.अ./453 दिनांक 29.03.2023 (ऑनलाईन प्रविष्टि उपरांत दिनांक 06.04.2023 को प्राप्त)

—:000:—

विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि बस्तर वनमण्डल के माचकोट परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई, पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हेतु खसरा नम्बर 640 रकबा 1.700 है. एवं खसरा नम्बर 638 रकबा 8.100 कुल 9.800 है. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे-बड़े झाड़ के जंगल) को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत ऑन लाईन आवेदन पर संदर्भित पत्र द्वारा पंजीयन क्रमांक आबंटित है।

वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल ने आवेदक संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव में वनमण्डल से संबंधित जानकारी शामिल कर अनुशंसा सहित मय संक्षिप्त टीप के साथ संदर्भित पत्र द्वारा व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल से प्राप्त विषयांकित व्यपवर्तन प्रस्ताव अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु मय संक्षिप्त टीप सहित तीन प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रस्ताव 03 प्रतियों में मूलतः

पृ.क्रं./व.त.अ./943

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-बस्तर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. अधिशासी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 10/04/2023

मुख्य वन संरक्षक,

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग -3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवश्यक नहीं है।

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत है।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

(मो. शाहिद)

भा. व. स.

मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर

मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

दिनांक :- 10.04.23

स्थान :- जगदलपुर

सरकारी मोहर